REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233571 CG-DL-E-17022022-233571

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

# सं. 132]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2022/माघ 28, 1943No. 132]NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2022/MAGHA 28, 1943

#### जल शक्ति मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी,2022

सा.का.नि. 134(अ).—केंद्रीय सरकार, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (प्रक्रिया, भत्ता और अन्य व्यय) नियम, 2022' है ।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अधिनियम" से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का संख्या 41) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) "सदस्य" से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय समिति के संविधान की अद्यतन अधिसूचना के अनुसार बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ङ) "राष्ट्रीय समिति" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति अभिप्रेत है;
- (च) "आमंत्रित" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का आमंत्रित व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (छ) "सचिव" से राष्ट्रीय समिति के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय समिति के गठन की अद्यतन अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का सचिव अभिप्रेत है;
- (ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (झ) "उप-समिति" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति द्वारा गठित एक उप-समिति अभिप्रेत है।
- (2) यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

# 3. राष्ट्रीय समिति की बैठकों का समय और स्थान:-

(क) राष्ट्रीय समिति की बैठक की तारीख, समय और स्थान राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा:

परन्तु एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें से एक बैठक मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले होगी।

(ख) राष्ट्रीय समिति के सचिव कम से कम दो सप्ताह पहले बैठक की सूचना देंगे। आपात स्थितियों में, राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष द्वारा नोटिस की अवधि को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है।

# 4. राष्ट्रीय समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-

- (क) राष्ट्रीय समिति की किसी भी बैठक के लिए कार्यसूची, अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित, कम से कम एक सप्ताह पहले सचिव द्वारा परिचालित की जाएगी, जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो।
- (ख) राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष राष्ट्रीय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे:

परन्तु किसी बैठक की अध्यक्षता करने में अध्यक्ष की अक्षमता के मामले में, सदस्य (डिजाइन और अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

- (ग) राष्ट्रीय समिति सामान्य रूप से अपने सदस्यों की सहमति से अपने निर्णयों पर पहुंचेगी। किसी भी बड़े मतभेद के मामले में, समिति के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा। समिति में आमंत्रित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- (घ) राष्ट्रीय समिति ऐसी उप-समितियों का गठन कर सकती है और ऐसे कार्यकाल के लिए जो आवश्यक समझे, ताकि अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता प्राप्त कर सकें, परन्तु
- (i) उप-समिति के अध्यक्ष और सदस्य का निर्णय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा;
- (ii) उप-समिति के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रियाएं राष्ट्रीय समिति द्वारा तय की जाएंगी;
- (iii) समिति आवश्यकता पड़ने पर ऐसी उप-समिति के कार्यकाल और संरचना की समीक्षा कर सकती है।
- (ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति की ओर से किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के प्रतिनिधि और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों (अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित) को आमंत्रित कर सकता है, जैसा कि वह अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त समझे।
- (च) राष्ट्रीय समिति किसी भी बांध/परियोजना का दौरा करने के लिए एक टीम नामित कर सकती है जिसे समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए।
- (छ) राष्ट्रीय समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित, सचिव द्वारा राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्यों और आमंत्रितों को अग्रेषित किए जाएंगे। बैठक के कार्यवृत्त को सभी 'बांध सुरक्षा पर राज्य समितियों', सभी 'राज्य बांध सुरक्षा संगठनों', निर्दिष्ट बांधों के सभी मालिकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा।
- (ज) राष्ट्रीय समिति और इसकी उप-समितियों को सचिवीय सहायता प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।

 (झ) राष्ट्रीय समिति और उप-समितियों की किसी भी बैठक से संबंधित सभी रिकॉर्ड प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा जाएगा, और प्राधिकरण सभी हितधारकों के लिए प्रासांगिक जानकारी और सूचना का प्रसार भी करेगा।

## 5. राष्ट्रीय समिति के भत्ते और अन्य व्यय:-

- (क) अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्देश्यों के प्रयोजन को पूरा करने के लिए यात्रा भत्ता (टीए), महंगाई भत्ता (डीए), भागीदारी शुल्क, अन्य आकस्मिक खर्च आदि से संबंधित व्यय, राष्ट्रीय समिति और उप-समिति (ओं) की बैठकों में भाग लेने या किसी भी बांध की ऑनसाइट विजिट पर जाने के लिए या पदेन सदस्यों और राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों और बांध के मालिकों द्वारा बांध सुरक्षा के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में जानकारी बढ़ाने के लिए वात्रा करने के लिए या पदेन सदस्यों और राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों और बांध के मालिकों द्वारा बांध सुरक्षा के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में जानकारी बढ़ाने के लिए किसी भी बांध की लाग ता हिस्सा बनने के लिए किए गए खर्च को उनके संबंधित नियंत्रक प्राधिकरणों या संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा।
- (ख) राष्ट्रीय समिति या इसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित विशेषज्ञ सदस्यों और अन्य विशेषज्ञ आमंत्रितों को सभी यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों सहित सभी आवास और बोर्डिंग शुल्क आदि सहित मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों के लिए स्वीकार्य है और इस संबंध में खर्च राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।
- (ग) राष्ट्रीय समिति और उप-समितियों की बैठकों के आयोजन से संबंधित सभी व्यय और राष्ट्रीय समिति और उप-समितियों के कामकाज से संबंधित कोई भी अन्य विविध व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

[फा. सं. एन-52011/1/2021-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF JAL SHAKTI NOTIFICATION

#### New Delhi, the 17th February, 2022

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 52 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short-title and commencement:-** (1) These rules shall be called the 'National Committee on Dam Safety (Procedures, Allowance and other Expenditure) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition:-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires:

- (a) 'Act' means the Dam Safety Act, 2021 (No.41 of 2021);
- (b) 'Authority' means the National Dam Safety Authority established under section 8 of the Act;
- (c) 'Chairperson' means the Chairperson of the National Committee on Dam Safety under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Act;
- (d) 'Member' means the member of the National Committee on Dam Safety as per the latest notification of the constitution of the National Committee published in official Gazette;
- (e) 'National Committee' means the National Committee on Dam Safety constituted under section 5 of the Act;
- (f) 'invitee' means the invitee of the National Committee on Dam Safety under sub-section (2) of section 7 of the Act;
- (g) 'Secretary' means the Secretary of the National Committee on Dam Safety as per the latest notification of the constitution of the National Committee published in official Gazette;
- (h) "section" a section of the Act;
- (i) "sub-committee" means a sub-committee constituted by the National Committee on Dam Safety under sub-section (2) of section 6 of the Act.

- (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Time and Place of the Meetings of the National Committee:-** (a) Date, time and place of the meeting of the National Committee shall be as decided by the Chairperson of the National Committee:

Provided that at least two meetings shall be held in a year, of which one meeting shall be before the onset of the monsoon season.

- (b) Secretary of the National Committee shall give notice of the meeting at least two weeks in advance. In emergent conditions, the notice period can be suitably reduced by the Chairman of the National Committee.
- **4. Procedure to be followed by the National Committee:-** (a) The Agenda for any meeting of the National Committee, duly approved by the Chairperson, shall be circulated by the Secretary at least one week in advance, unless there is an emergent situation.
  - (b) The Chairperson of the National Committee shall preside over the meetings of the National Committee:

Provided that in the case of Chairperson's inability to preside over any meeting, Member (Design and Research), Central Water Commission shall preside over that meeting.

- (c) The National Committee in general shall arrive at its decisions by consensus of its members. In case of any major differences, the decisions of the Committee shall be arrived by majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson or the person presiding over the meeting shall have the casting vote. The invitees to the committee will not have voting right.
- (d) The National Committee may constitute such sub-committees and for such tenures as it may consider necessary, so as to seek assistance in discharge of its function, provided that :
  - (i) The Chairman and members of the sub-committee shall be decided by the Chairperson of National Committee;
  - (ii) Procedures regarding transaction of the business of the sub-committee shall be as decided by National Committee;
  - (iii) The committee may review the tenure and composition of such sub-committee as and when required.
- (e) The Chairperson, on behalf of the National Committee may invite the representative of the owner of any specified dam and such other experts in dam safety (including international experts) as it may consider appropriate for the discharge of its functions.
- (f) The National Committee may nominate a team to visit any dam/project as may be considered essential by the Committee.
- (g) Minutes of Meetings of the National Committee, duly approved by the Chairperson, shall be forwarded by Secretary to all members and invitees of the National Committee. Minutes of Meetings shall also be shared with all 'State Committees on Dam Safety', all 'State Dam Safety Organisations', all owners of the specified dams, and other concerned stakeholders.
- (h) The secretarial assistance to the National Committee and it sub-committees shall be provided by the Authority.
- (i) All records related to the any meeting of the National Committee and sub-committees shall be maintained by the Authority, and Authority shall also disseminate the relevant knowledge and information to all stakeholders.
- 5. Allowances and other expenditure of the National Committee:- (a) Expenditure related to travelling allowance (TA), dearness allowance (DA), participation fees, other incidental expenses etc. incurred for attending the meetings of the National Committee and sub-committee(s) or to have on-site visit to any dam or to be part of any exposure visit to enhance knowledge in some leading area of dam safety by the *ex-officio* members and the invitee representatives of the States, Union Territories and owners of dam for meeting the purpose of objectives as mentioned in Schedule 1 of the Act shall be borne by their concerned controlling authorities or organisations.

- (b) The specialist members and other expert invitees including international experts, who attend the meetings of the National Committee or its sub-committees shall be paid honorarium including travelling allowances, daily allowances including all lodging and boarding charges etc. as are admissible to non-officials as per the extant rules of the Central Government, and expenditure in this regard shall be borne by the National Dam Safety Authority.
- (c) All expenditure related to organizing of the meetings of the National Committee and subcommittees and any other miscellaneous expenditure related to functioning of the National Committee and sub-committees shall be borne by the Authority.

[F. No. N-52011/1/2021-BM Section-MOWR]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 17 फरवरी,2022

सा.का.नि. 135(अ).—केन्द्रीय सरकार बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (कृत्य और शक्तियां) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क. "अधिनियम" से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) अभिप्रेत है;

ख. "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) अभिप्रेत है;

ग. "अध्यक्ष" से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के अनुसार प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है;

घ. "राष्ट्रीय समिति" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति अभिप्रेत है;

ड. "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. प्राधिकरण की संरचना :-

(1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, प्राधिकरण का प्रमुख होगा।

(2) अध्यक्ष, एनडीएसए की सहायता करने के लिए पांच सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य, समनुदेशित कृत्यों सहित निम्नलिखित पांच खंडों में से एक खंड की अध्यक्षता करेंगे:

क्र. सं.	खंड	कृत्य (अधिनियम की दूसरी अनुसूची में यथा समनुदेशित)
(I)	नीति और अनुसंधान:	(1) राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामियों के
	'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति' का सचिवालय	साथ बांध सुरक्षा से संबंधित डाटा और पहलियों तथा तकनीकी या
	और उसकी उप-समितियाँ; विभिन्न दिशा-	प्रबंधकीय सहायता संबंधी मानकीकरण के लिए संपर्क बनाए
	निर्देशों, मैनुअल, जांचसूची, अनुसंधान और	रखना;
	विकास, जन जागरूकता और प्रसार, बांधों	(2) विनिर्दिष्ट बांधों और अनुलग्न संरचनाओं के नेमी निरीक्षण
	की सुभेद्यता और जोखिम वर्गीकरण आदि	और विस्तृत अन्वेषण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और जांच सूचियां
	तैयार/पुनरीक्षण करना;	अधिकथित करना;

		<ul> <li>(3) देश में विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट के वर्गीकरण के लिए एक समान मानदंड अधिकथित करना और जब भी आवश्यक हो, ऐसे मानदंड का पुनर्विलोकन करना;</li> <li>(4) विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों के बाढ़ विन्यास के पुनर्विलोकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना;</li> <li>(5) विनिर्दिष्ट बांधों के स्थल विनिर्दिष्ट भूकंपी पैरामीटर अध्ययनों के पुनर्विलोकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;</li> <li>(6) विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों के बाढ़ विन्यास के पुनर्विलोकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना;</li> <li>(7) राष्ट्रीय समिति और उसकी उपसमितियों को सचिवालयिक सहायता उपलब्ध कराना;</li> <li>(8) बांध सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट विषय, जो उसको</li> </ul>
		केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।
(11)	तकनीकी: जनशक्ति संबंधी निर्देश, व्यक्तिगत विशेषज्ञत: से संबंधित क्रियाकलाप, बांध सुरक्षा कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुभव और योग्यता से संबंधित मामले, जांच, डिजाइन, संनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए एजेंसियों की मान्यता आदि।	<ul> <li>(1) राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को अद्यतन तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराना ;</li> <li>(2) देश में सभी विनिर्दिष्ट बांधों के लिए राष्ट्रीय स्तर के डाटा बेस का अनुरक्षण करना, जिसके अंतर्गत उसमें अपेक्षित गंभीर दबाव की स्थितियां, यदि कोई हों, भी हैं ;</li> <li>(3) देश में प्रमुख बांध संबंधी विफलताओं के अभिलेखों का अनुरक्षण करना ;</li> <li>(4) विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(5) ऐसे अभिकरणों को प्रत्यायन प्रदान करना, जिन्हें विनिर्दिष्ट बांधों का अन्वेषण, डिजाइन या संनिर्माण सौंपा जा सकेगा ;</li> <li>(6) किसी ऐसे अभिकरण को विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, डिजाइन, संनिर्माण या परिवर्तन करने से निरर्हित करना, यदि वह इस अधिनियम के अधीन किसी विनियम का उल्लंघन करता है ;</li> <li>(7) विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, विन्यास या संनिर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव के संबंध में निर्देश देना ;</li> <li>(8) विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, विन्यास या संनिर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(9) सन्निर्मिणाधीन किसी विनिर्दिष्ट बांधों के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(10) ऐसे बांधों के संवत्त उपायों के संबंध में निर्देश देना ;</li> <li>(10) ऐसे बांधों की भेद्यता और संकट के वर्गीकरण के आधार पर विनिर्दिष्ट बांधों के भोद्यता और संकट के वर्गीकरण के आधार पर विनिर्दिष्ट बांधों के बांध सुरक्षा एककों में इंजीनियरों की सक्षमता स्तरों के संबंध में निर्देश देना ;</li> </ul>
(111)	विनियमन: बांध सुरक्षा विनियम; लॉग-बुक, उपस्करों, जल-मौसम विज्ञान केन्द्रों, भूकंप-विज्ञानी स्टेशनों, जोखिम निर्धारण अध्ययन, व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन आदि का रखरखाव; संसदीय प्रश्नों से जुड़े मामले और संसद समिति के मामले	<ul> <li>(1) बांध सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और आपदा संबंधी बांध विफलताओं को रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर विनियम बनाना भी है ;</li> <li>(2) लाग बुक या डाटा बेस को बनाए रखने के संबंध में निदेश देना;</li> <li>(3) विनिर्दिष्ट बांधों में उपस्करों की आवश्यकता और उनके कार्यनिष्पादन को मानीटर करने के लिए उनके लिए प्रतिष्ठापन की रीति के संबंध में निदेश देना ;</li> </ul>

		<ul> <li>(4) विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास जल-मौसम विज्ञान केन्द्रों की आंकड़े अपेक्षाओं के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(5) विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास भूकंप-विज्ञानी स्टेशनों के डाटा अपेक्षाओं के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(6) विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के जोखिम निर्धारण अध्ययनों के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(7) विनिर्दिष्ट बांधों के व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(8) विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के जोखिम निर्धारण अध्ययनों के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(8) विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के व्यापक सुरक्षा मुल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(8) विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए समय अंतराल के संबंध में निर्देश देना ;</li> </ul>
(IV)	आपदा और समुत्थान-शक्ति: राज्यों/बांध स्वामियों के बीच विवादों का समाधान; राज्यों/बांध स्वामियों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता; बांध विफलताओं और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं की जांच; आपातकालीन कार्य योजना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;	<ul> <li>(1) राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में किसी विनिर्दिष्ट बांध के किसी स्वामी के बीच किसी मुद्दे का समाधान करना ;</li> <li>(2) किसी प्रमुख बांध विफलता के कारण की, अपने स्वयं के इंजीनियरों के माध्यम से या विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से, जहां कहीं आवश्यक हो, जांच कराना और राष्ट्रीय समिति को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;</li> <li>(3) किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में किसी प्रमुख लोक सुरक्षा चिंता के कारण का अपने स्वयं के इंजीनियरों के माध्यम से या विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से, जब कभी अपेक्षित हो, जांच करना तथा आगे और अन्वेषणों, प्रचालन संबंधी पैरामीटरों या उपचारात्मक उपायों के संबंध में समुचित अनुदेश जारी करना ;</li> <li>(4) विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों की आपातस्थिति कार्य योजनाओं को अद्यतन करने के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;</li> <li>(5) जल विज्ञान और मौसम विज्ञान और सूचना से संबंधित वास्तविक डाटा के आदान-प्रदान के लिए किसी बांध के स्वामी द्वारा जलाशयों के प्रचालन से संबंधित समुचित ढांचे को सम्मिलित करते हुए किसी आरंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना ;</li> <li>(6) ऐसे बांध पुनर्वास कार्यक्रमों के, जो राज्यों, केंद्रीय या बाह्य वित्तपोषण के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं, समन्वयन और संपूर्ण पर्यवेक्षण का उपबंध करना ;</li> <li>(7) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए देश में बांध सुरक्षा क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ;</li> </ul>
(V)	प्रशासन और वित्त:	ु मानव संसाधन, वित्त, सतर्कता, कानूनी, सूचना प्रौद्योगिकी के सेवा मामलों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी क्रियाकलाप ।

(3) प्राधिकरण को नीचे सूचीबद्ध रीति में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आविष्ट करने वाले चार प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी :

क्रम सं.	प्रादेशिक कार्यालय	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	
1	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश।	
2	पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र	और पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।	

3	पश्चिमी क्षेत्र	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव और गोवा।
4	दक्षिणी क्षेत्र	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में होगा और प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगा । प्राधिकरण अपने कार्यों को पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने पर अपने प्रादेशिक कार्यालयों के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित कर सकेगा ।

(5) प्रादेशिक कार्यालय प्राधिकरण के संपर्क कार्यालयों के रूप में कार्य करेंगे, और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और विनिर्दिष्ट बांधों के स्वामियों को समन्वय सेवाएं उपलब्ध करेंगे। उत्तरी क्षेत्र कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण सदस्य (नीति और अनुसंधान), सदस्य (तकनीकी) के पास पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यालय, सदस्य (विनियमन) के पास पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय और सदस्य (आपदा और समुत्थान-शक्ति) के पास दक्षिणी क्षेत्र के कार्यालय होंगे।

(6) ऐसी दशा में जहां एक विनिर्दिष्ट बांध एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व में है या जहां एक विनिर्दिष्ट बांध दो या दो से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, या जहां एक राज्य में विनिर्दिष्ट बांध दूसरे राज्य के स्वामित्व में है, तो प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन के रूप में माना जाएगा।

# 4. प्राधिकरण का व्यय:-

1. प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए उपगत सभी व्यय (पूंजीगत और राजस्व व्यय) केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

 प्राधिकरण के लेखों की लेखा संपरीक्षा भारत सरकार के संनियमों, के अनुसार अर्थात भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

 प्राधिकरण केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे गए कृत्यों और कर्तव्यों के पूर्ण और उचित निष्पादन करने के लिए ऐसी संविदाएं और करार कर सकेगा जो वह आवश्यक और अनिवार्य समझें।

[फा. सं. एन-52011/1/2021-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

# NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2022

**G.S.R. 135(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 52 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

- **1. Short-title and commencement:-** (1) These rules shall be called the National Dam Safety Authority (Functions and Powers) Rules, 2022.
  - (2.) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions:-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires:
  - a. "Act" means the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021);
  - b. "Authority" means the National Dam Safety Authority (NDSA) established under section 8 of the Act;
  - c. "Chairman" means the Chairman of the National Dam Safety Authority, who heads the Authority as per sub-section (2) of section 8 of the Act;
  - d. "National Committee" means the National Committee on Dam Safety constituted under section 5 of the Act;
  - e. "section" means a section of the Act.

- **3. Structure of the Authority :-** (1) The Chairman, National Dam Safety Authority shall be the head of the Authority.
  - (2.) There shall be five Members to assist the Chairman, NDSA. Each Member shall be heading one of the following five wings with the assigned functions as below:

S. No.	Wings	Functions (As assigned in the $2^{nd}$ Schedule of the Act)
(I)	Policy & Research: Secretariat of the 'National Committee on Dam Safety' and its sub-committees; formulation/revision of various guidelines, manuals, checklists, Research & Development, Public awareness and dissemination, vulnerability and hazard classification of dams etc.;	<ol> <li>Maintain liaison with the State Dam Safety Organizations and the owners of the specified dams for standardisation of dam safety related data and practices, and related technical or managerial assistance;</li> <li>Lay down guidelines and check-lists for the routine inspection and detailed investigation of the specified dams and appurtenant structures;</li> <li>Lay down the uniform criteria for vulnerability and hazard classification of the specified dams in the country, and review such criteria as and when necessary;</li> <li>Lay down guidelines for review of design floods of existing the specified dams;</li> <li>Lay down guidelines for review of site specific seismic parameter studies of the specified dams;</li> <li>Promote general education and awareness in respect of dam safety;</li> <li>Provide Secretarial assistance to the National Committee and its sub-committees;</li> <li>Any other specific matter relating to dam safety which may be referred to it by the Central Government.</li> </ol>
(II)	Technical:	<ul> <li>(1) Provide the state-of-the-art technical and managerial assistance to the State Dam Safety Organizations;</li> </ul>
	Directions on manpower, activities related to individual expert, matters related to experience and qualification of dam safety staff and official, accreditation of agencies for investigation, design, construction and quality control etc.	<ul> <li>(2) Maintain a national level database of all specified dams in the country, including serious distress conditions, if any, noticed therein;</li> <li>(3) Maintain the records of major dam failures in the country;</li> <li>(4) Give directions regarding qualifications and experience requirements of individuals responsible for safety of the specified dams</li> <li>(5) Accord accreditations to the agencies that may be entrusted with the investigation, design, construction and alteration of the specified dams;</li> <li>(6) Disqualify any agency for taking up investigation, design, construction or alteration of the specified dams, if it violates any of the regulations made under this Act;</li> <li>(7) Give directions regarding qualification and experience requirements of individuals responsible for investigation, design and construction of the specified dams;</li> <li>(8) Give directions regarding quality control measures to be undertaken during construction of the specified dams;</li> <li>(9) Lay down guidelines for preventive measures in the areas vulnerable to landslides in the vicinity of a specified dam under construction;</li> </ul>

		(10) Give directions regarding competent levels of engineers
		in the dam safety units of the specified dams on the basis of vulnerability and hazard classification of such dams;
(III)	Regulation : Dam safety regulations; maintenance of log-books, instrumentation, hydro- meteorological stations, seismological stations, risk assessment studies, comprehensive dam safety evaluation etc.; parliament questions and parliament committee matters	<ol> <li>For the purpose of maintaining standards of dam safety and prevention of dam failure related disasters, discharge such functions as related to implementation of the policies made by the National Committee including making regulations on the recommendations of the National Committee;</li> <li>Give direction regarding maintenance of log books and database;</li> <li>Give directions regarding instrumentation requirements and manner of their installation for monitoring the performance of the specified dams;</li> <li>Give directions regarding data requirements of hydro- meteorological stations in the vicinity of the specified dams;</li> <li>Give directions regarding time interval for the risk assessment studies of the specified dams on the basis of vulnerability and hazard classification of such dams;</li> <li>Give directions regarding constitution of independent panel of experts for comprehensive dam safety evaluation of the specified dams;</li> <li>Give directions regarding time interval for the soft specified dams;</li> <li>Give directions regarding constitution of independent panel of experts for comprehensive dam safety evaluation of the specified dams;</li> <li>Give directions regarding time interval for the comprehensive safety evaluation of the specified dams on the basis of vulnerability and hazard classification of such dams.</li> </ol>
(IV)	Disaster & Resilience: Resolution of conflicts between States/ dam owners; technical & managerial assistance to States/dam owners; investigation of dam failures and other public safety concerns; emergency action plan, preparation of annual report;	<ol> <li>(1) Resolve any issue between the State Dam Safety Organisations of States or between a State Dam Safety Organisations and any owner of a specified dam in that State;</li> <li>(2) Examine, as and when necessary, either through its own engineers or through a panel of experts, the cause of any major dam failure, and submit its report to the National Committee;</li> <li>(3) Examine whenever required, either through its own engineers or through a panel of experts, the cause of any major public safety concern in respect of any specified dam, and issue appropriate instructions relating to further investigations, operational parameters or remedial measures;</li> <li>(4) Give directions regarding time interval for updating the emergency action plans of the specified dams on the basis of vulnerability and hazard classification of such dams;</li> <li>(5) Establishment of an early warning system incorporating appropriate framework for the exchange of real time hydrological and meteorological data and information related to operation of reservoirs by the owner of a dam.</li> <li>(6) Provide coordination &amp; overall supervision of dam rehabilitation programs that are executed in the States through central or externally aided funding.</li> </ol>

		(7) Prepare Annual Report of the dam safety activities in the country to be laid before each House of Parliament.
(V)	Administration & Finance:	All activities related to service matter of human resources, finance, vigilance, legal, Information Technology as well as any matter referred to it by the Central Government.

(3.) Authority shall be supported with four regional offices covering States and Union Territories in below listed manner:

S. No.	Regional Office	Name of States/ Union Territories	
1	Northern Region	Jammu & Kashmir, Ladakh, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Uttarakhand and Himachal Pradesh.	
2	Eastern & North Eastern Region	Bihar, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Odisha, Sikkim, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura.	
3	Western Region	Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra and Nagar Havel and Daman & Diu and Goa.	
4	Southern Region	Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Lakshadweep and Andaman & Nicobar Island.	

- (4.) The headquarter of the Authority shall be in the National Capital Region of Delhi and the Authority may establish regional offices at other places in India. Authority may also establish field offices under its regional offices, as felt necessary from time to time, to fulfil its functions.
- (5.) offices shall serve as liaisoning offices of the Authority, and shall provide coordination services with the respective State Dam Safety Organisations and dam owners of the specified dams. The administrative control of the Northern Region office shall be with Member (Policy & Research), Eastern & North Eastern Region office with Member (Technical), Western Region office with Member (Regulation) and Southern Region office with Member (Disaster & Resilience).
- (6.) In case where a specified dam is owned by a Central Public Sector Undertaking or where a specified dam is extended over two or more States, or where the specified dam in one State is owned by another State, then the Authority shall be construed as the State Dam Safety Organisation.
- **4. Expenditure of the Authority:-** (1) All expenses (capital and revenue expenditure) incurred by the Authority for discharging of its functions, shall be borne by the Central Government.
  - (2.) The accounts of the Authority shall be audited as per Government of India norms i.e. by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee.
  - (3.) The Authority shall enter into such contracts and agreements as may be necessary and essential for the full and proper performance of the functions and duties assigned to it by the Central Government.

[F. No.N-52011/1/2021-BM Section-MOWR] SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.